अण्डमान तथा

Andaman And

सल्पेन जनो असाधारण

निकोबार राजपत्र Nicobar Gazette

# EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित Published by Authority

सं. 28, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 No. 28, Port Blair, Tuesday, February 24, 2015

# अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन जिला उद्योग केन्द्र पोर्ट ब्लेयर

# <u>अधिसूचना</u>

#### पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 24 फरवरी, 2015

सं. 26/2015/ फा. सं. 3-82/डी.आई.सी./2009-10-खंड II.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. यू/14939/2/83-ए.एन.एल. दिनांक 21/02/1985 के साथ पठित भारत के संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के जिला उद्योग केन्द्र में वर्ग 'क' पद के अधिकारी (राजपत्रित) पद की भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतू निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

### 1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ :

- क) इस नियम को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ( जिला उद्योग केन्द्र के वर्ग 'क' पद के) अधिकारी पदों की भर्ती नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
- ख) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण व वेतनमान :

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण व वेतनमान संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 1 से 4 में दर्शाई गई है।

## 3. मर्ती पद्धति, आयु सीमा व अन्य योग्यताएँ :

संबंधित पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ व अन्य विषय संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या 5 से 13 में दर्शाया गया है।

## 4. अयोग्यताएँ :

कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियक्ति के लिए अयोग्य हो सकता है, जिसने:-

- क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है,
- ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हों :

बशर्ते कि उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, यदि किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं। 2 THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015/-

5. ढील देने की शक्ति

उप राज्यपाल (प्रशासक). अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

## व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय--समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध कराना अपेक्षित है।

> लेफिटनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., एस.एम., वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

> > उप राज्यपाल के नाम व आदेश से,

## ह./-(अशोक कुमार शर्मा) सयुक्त सचिव व महाप्रबंधक. जिला उद्योग केन्द्र।

		अनुसूचा
1	पदनाम	महाप्रबंधक
2	पदों की संख्या	01 (एक) 2014 कार्यभार के अनुसार बदलने की गुंजाइश
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग "क" राजपत्रित, गैर–लिपिक वर्गीय
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 रू. 15600 39100 + ग्रेड वेतन रू. 6600
5	चयन पद या गैरचयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए (भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट)। <u>नोटः</u> आयु सीमा निर्धारण करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो संपूर्ण भारत के लिए लागू है न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु–कश्मीर की लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पिटी जिला व चंबा जिले की पांगी उप–मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप ।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य योग्यताएँ	आवश्यकः– 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलक्ट्रोनिक्स व संचार अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातक या बी.टेक. । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान विषय में स्नातक ।
		या 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/गणित/व्यापार विषय में रनातक । किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/सरकारी उपक्रम/कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु व अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में 8 वर्ष का अनुभव ।
	·	या 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/इलक्ट्रोनिक्स व संचार अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान/रसायन अभियांत्रिकी/इलक्ट्रिकल अभियांत्रिकी/ मेकानिकल अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर या एम.टेक. । या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे स्नातकोत्तर । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/सांख्यिकी/गणित/व्यापार विषय में स्नातकोत्तर । 2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/सरकारी उपक्रम/कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में 5 वर्ष का अनुभव ।

# अनुसूची

. ج

# 4 THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2010

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यवसाय
	· · · · ·	प्रशासन प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) ।
		<u>नोट1</u> : योग्यताओं में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को
		देना होगा अन्यतः योग्य उम्मीदवार ।
   .		<u>नोट—2</u> : अनुभव के संबंध में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में
		उम्मीदवार को देना होगा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित
		जनजाति से सम्बद्ध होगा । चयन की प्रक्रिया के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय में इन समुदायों की
		उम्मीदवारों के पास यदि आवश्यक अनुभव न हो, तो उनके
		लिए आरक्षित पद में नियुक्ति के लिए विचार कर सकता है।
8	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा व	आयु : लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति के लिए भी	शैक्षणिक योग्यता : हाँ
9	लागू होगा ? परीवीक्षा अवधि, यदि हो तो	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
		· · ·
10	या प्रतिनियुक्ति द्वारा व रिक्त पदों की भर्ती	पदोन्नति द्वारा अन्यतः प्रतिनियुक्ति द्वारा । (आई.एस.टी.सी.) दोनों से नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
	की प्रतिशत का विवरण	
11	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से होने पर किस ग्रेड से पदोन्नति/	
	रथानांतरण से किया जाएगा	जिला उद्योग केन्द्र में प्रकार्यात्मक प्रबंधक (ग्रामीण उद्योग), प्रकार्यात्मक प्रबंधक (ऋण), प्रकार्यात्मक प्रबंधक (आर्थिक
		अन्वेषण) / परियोजना प्रबंधक (तकनीकी) कर पद से जो
		वेतन बैंड 3 रु. 15,600 39,100 के साथ ग्रेड वेतन
		रु. 5400 में 5 वर्ष की नियमित सेवा व निम्नदर्शित किसी दो विषयों में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया
		हो
		<ol> <li>उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समूह निष्पादन</li> </ol>
		2. टीम कार्य के द्वारा संगठनात्मक उत्कृष्टता
		3. आधुनिक कार्यालय प्रबंधन व सूचना के अधिकार
		4. मानव संसाधन प्रबंधन व सूचना कौशल
	-	<ol> <li>प्रशासनिक सतर्कता व अनुशासनिक कार्रवाई</li> </ol>
		<ol> <li>लोक व्यय प्रबंधन</li> </ol>
		<u>नोट-1</u> : परियोजना प्रबंधक (रसायन) की पद पर पी.बी-
	·	रु. 15600 — 39100 के साथ ग्रेड वेतन रु. 5400 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पर पदस्थ होने पर इन नियमों की
	•	अधिसूचित करने की तिथि से पदोन्नति के लिए योग्य होगा।
	·	<u>नोट-2</u> : जहाँ कनिष्ठ ने अर्हक योग्य सेवाकाल पूर्ण की हो
	~ <b>)</b>	जिसे पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है ऐसे में उनके वरिष्ठ यदि अईक योग्य सेवाकाल की आधे से अधिक
	<b>x</b>	या दो वर्ष की कमी होने पर पदोन्नति के लिए विचार किया
		जाएगा । इनमें से जो भी कम होगा जिन्होंने परिवीक्षा अवधि
		पूर्ण की हो, को अगले उच्च ग्रेड के लिए कनिष्ठ के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने अर्हक योग्य
		सेवाकाल पूर्ण की हो।

THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015 5

<u>नोट-3</u> : पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक सेवाकाल की गणना करने के लिए 01.01.2006 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा जिसे तिथि से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित संरचित वेतन प्रदान की हो, को भी प्रदत्त सेवा में गिना जाएगा जो संबंधित वेतन बैंड में हो।

## प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी) :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ शासित/विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/ अर्धसरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संस्थान की अधिकारी ।

क) 1. पैतृक संवर्ग / विभाग में नियमित रूप में अनुरूप पदधारक हो ।

#### या

2. वेतन बैंड पी.बी.—3 रु. 15600—39100 के साथ ग्रेड वेतन रु. 5400 में नियुक्ति के उपरांत 5 वर्ष का सेवा या पैतृक संवर्ग विभाग की समतुल्य ।

#### तथा

ख) सीधी भर्ती के लिए क्रम सं. 7 में दर्शाया गया शैक्षणिक योग्यता व अनुभव धारक हो।

विभाग के अधिकारी जो पदोन्नति की श्रेणी में वे प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा । साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी पदोन्नति में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्र सरकार के किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद उसी संगठन या अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जिसका निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगा।)

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए नोट । 01.01.2006 से पूर्व सेवारत अधिकारी जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसार संबंधित ग्रेड वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए ग्रेड वेतन या विलयन किया गया वेतनमान जो सामान्य हो, वेतनमान या जहाँ पर पद के लिए ग्रेड वेतन जो बगैर उन्नति/अपग्रेड का हो ।

12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी गठन क्या है ?	पदोन्नति तथा स्थायीकरण के लिए वर्ग 'क' डी.पी.सी. जिसमें :
		1. मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष
		2. सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य
	· · · · · · ·	3. सचिव (कार्मिक), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन –सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सीधी भर्ती व प्रतिनियुक्ति के अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ।

# अनुसूची

# जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में 'क' वर्ग पद की मर्ती नियम

1	<u>पू</u> दनाम	परियोजना प्रबंधक (तकनीकी)
2	पदों की संख्या	01 (एक) 2014 कार्यभार के अनुसार बदलने की गुजाइश
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग "क" राजपत्रित, गैरू-लिपिक वर्गीय
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड-3 रू. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400
5	चयन पद या गैरचयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट) <u>नोटः</u> आयु सीमा निर्धारण करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो संपूर्ण भारत के लिए लागू है न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मुकश्मीर की लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पिटी जिला व चंबा जिले की पांगी उपमंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप ।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य योग्यताएँ	<ul> <li>आवश्यक :</li> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलक्ट्रोनिक्स व संचार अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी रा कम्प्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी रनातक या बी.टेक. ।</li> <li>या</li> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान विषय में स्नातक ।</li> <li>2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी उपक्रम / कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, ऋण मार्गदर्शन व अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में तीन वर्ष का अनुभव ।</li> <li>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलक्ट्रोनिक्स</li> </ul>
	۰ţ	व संचार अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर या एम.टेक. । 2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/ सरकारी उपक्रम/कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन ऋण मार्गदर्शन व अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में एक वर्ष का अनुभव । <u>वाछनीय</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से परियोजना प्रबंधन या विपणन प्रबंधन में एम.बी.ए. । नोट-1: योग्यताओं में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा अन्यतः योग्य उम्मीदवार ।

÷.,

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		नोट-2 : अनुभव के संबंध में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के रूप में विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध होगा । चयन की प्रक्रिया के किसी स्तर
		पर संघ लोक सेवा आयोग की राय में इन समुदायों की
	· •,	उम्मीदवारों के पास यदि आवश्यक अनुभव न हो, तो, उनके
		लिए आरक्षित पद में नियुक्ति के लिए विचार कर सकता है ।
	The and at for four for any after a	
8	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति के लिए भी लागू होगा ?	लागू नहा
9	परीवीक्षा अवधि, यदि हो तो	२ (दो) वर्ष
10	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा व रिक्त पदों की भर्ती की प्रतिशत का विवरण	सीधी भर्ती द्वारा अन्यतः प्रतिनियुक्ति द्वारा (आई.एस.टी.सी.)।
11	यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) :
		केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ शासित/विश्वविद्यालय/
	पदोन्नति / स्थानांतरण से किया जाएगा	मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/
ĺ.		अर्धसरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संस्थान की अधिकारी :
		क) 1. पैतृक संवर्ग / विभाग में नियमित रूप में अनुरूप
		पदधारक हो।
		या २
		2. वेतन बैंड पी.बी.—2 रु. 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन
		रु. 4800 में नियुक्ति के उपरांत दो वर्ष का सेवा या पैतृक
		संवर्ग विभाग की समतुल्य ।
		3. वेतन बैंड पी.बी.—2 रु. 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4600 में नियुक्ति के उपरांत तीन वर्ष का सेवा या पैतृक
		र 4000 न निपुषित के उपरात ताने पर की सवा या पतिक संवर्ग विभाग की समतुल्य ।
ļ		या
		4. वेतन बैंड पी.बी2 रु. 930034800 के साथ ग्रेड वेतन
		रु. 4200 में नियुक्ति के उपरांत आठ वर्ष का सेवा या पैतृक
		संवर्ग विभाग की समतुल्य ।
		तथा
		ख) सीधी भर्ती के लिए क्रम सं. 7 में दर्शाया गया शैक्षणिक
		योग्यता व अनुभव धारक हो।
		(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्र सरकार के किसी अन्य
		संवर्ग बाह्य पद उसी संगठन या अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति
		की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति
1		मे नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक
		नहीं होना चाहिए जिसका निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम
		तिथि होगा)।
		प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए नोट । 01.01.2006
		से पूर्व सेवारत अधिकारी जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन
		आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसार संबंधित ग्रेड
		वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए
		ग्रेड वेतन या विलयन किया गया वेतनमान जो सामान्य हो ।
	· ·	वेतनमान या जहाँ पर पद के लिए ग्रेड वेतन जो बगैर
		उन्नति/अपग्रेड का हो ।

		स्थायीकरण के लिए वर्ग 'क' डी.पी. सी. जिसमें :
	है, तो इसकी गठन क्या है ?	<ol> <li>मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष</li> </ol>
	<b>e</b>	2. सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन - सदस्य
		3. संयुक्त सचिवसहसदस्य (जिला उद्योग केन्द्र) – सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सभी अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ।
	आयोग से परामर्श किया जाना है	

	· · · · · ·	
1	पदनाम	प्रकार्यात्मक प्रबंधक (ग्राम उद्योग)
2	पदों की संख्या	01 (एक) 2014 कार्यभार के अनुसार बदलने की गुंजाइश
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग "क" राजपत्रित, गैरलिपिक वर्गीय
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड—3 रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400
5	चयन पद या गैरचयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट)।
		<u>नोटः</u> आयु सीमा निर्धारण करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो संपूर्ण भारत के लिए लागू है न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु—कश्मीर की लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पिटी जिला व चंबा जिले की पांगी उप—मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप ।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य योग्यताएँ	<ul> <li>आवश्यक :</li> <li>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से रसायन / इलक्ट्रिकल / मेकानिकल अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातक या बी.टेक. ।</li> <li>2. किसी सरकारी विभाग, रवायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी विभाग, रवायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी उपक्रम / कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्वेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण व गांव स्तर तकनीकी मार्गदर्शन व उद्यमियों को सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में तीन वर्ष का अनुभव ।</li> <li>2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान देने हेतु ग्रामीण व गांव स्तर तकनीकी मार्गदर्शन व उद्यमियों को सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में तीन वर्ष का अनुभव ।</li> <li>2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से रसायन / इलेक्ट्रिकल / मेकानिकल अभियांत्रिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर या एम.टेक. ।</li> <li>2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान हो केसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण व गांव स्तर तकनीकी मार्गदर्शन व उद्यमियों के कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण व गांव स्तर तकनीकी मार्गदर्शन व उद्यमियों को सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण व गांव स्तर तकनीकी मार्गदर्शन व उद्यमियों को सहायता सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, में एक वर्ष का अनुम्य ।</li> </ul>

# अनुसूची

	··· ·
वाछनीयः-	
किसी मान्यताप्राप प्रशासन में स्नातकोत्तर	ा विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार (गमनी प्र)
	(९न.बा.९.) "रियायत संघ लोक सेवा आयोग के
	कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को
देना होगा अन्यतः योग्य	
	ध में रियायत संघ लोक सेवा आयोग
	का कारण लिखित रूप में उम्मीदवार
	्चित जाति व अनुसूचित जनजाति से
	की प्रक्रिया के किसी स्तर पर संघ राय में इन समुदायों की उम्मीदवारों
लाय राया जाया यह	क अनुभव न हो, तो उनके लिए
आरक्षित पद में नियुक्ति	के लिए विचार कर सकता है ।
8 सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा व आयु : नहीं	
शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति के लिए भी शैक्षणिक योग्यता : नहीं	
लागू होगा ?	
9 परीवीक्षा अवधि, यदि हो तो सीधी भर्ती व पदोन्नति व	के लिए 1 (एक) वर्ष
10 भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सामसिक पद्धति प्रति	
या प्रतिनियुक्ति द्वारा व रिक्त पदों की भर्ती पदोन्नति अन्थतः सीधी व	नती द्वारा
की प्रतिशत का विवरण	
11 यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ सामसिक पद्धति प्र स्थानांतरण से होने पर किस ग्रेड से पदोन्नति :	तिनियुक्ति (आइ.एस.टी.सी.) व
पदोन्नति / स्थानांतरण से किया जाएगा प्रतिनियुक्ति (आई.एस.	टी सी )
	र/संघ शासित/विश्वविद्यालय/
	संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/
	या स्वायत्त संस्थान की अधिकारी ।
	वेभाग में नियमित रूप में अनुरूप
पदधारक हो ।	· (
	या
	.—2 रु. 9300—34800 के साथ ग्रेड
वितन रु. 4800 में नियु। पैतृक संवर्ग विभाग की	क्ते के उपरांत दो वर्ष का सेवा या समतल्य ।
	्या
3. वेतन बैंड पीबी	2 रु. 930034800 के साथ ग्रेड
	तेन के उपरांत तीन वर्ष का सेवा या
पैतृक संवर्ग विभाग की र	
	या
	2 रु. 9300-34800 के साथ ग्रेड
	तेत के उपरांत आठ वर्ष का सेवा या
पैतृक संवर्ग विभाग की र	•
ंग्री सीकी भार्मी के लिए	तथा क्रम सं. ७ में दर्शाया गया शैक्षणिक
योग्यता व अनुभव धारक	
	ा केन्द्र में वेतन बैंड पी.बी2
	ा कन्द्र म वतन बड पा.बा2 ाथ ग्रेड वेतन रु. 4200 में उद्योग
रु. 9300—34800 के <del>र</del> प्रगति अधिकारी (रसायन	ाथ ग्रेड वेतन रु. 4200 में उद्योग 1) को बाहर के उम्मीदवार के साथ
रु. 9300—34800 के <del>र</del> प्रगति अधिकारी (रसायन	ाथ ग्रेड वेतन रु. 4200 में उद्योग

<u>~)</u>

1.1

# 10 THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015

	¢	विभाग के अधिकारी जो पदोन्नति की श्रेणी में वे प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा । साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी पदोन्नति में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा ।
		(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्र सरकार के किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद उसी संगठन या अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जिसका निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगा)।
		प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए नोट। 01.01.2006 से पूर्व सेवारत अधिकारी जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसार संबंधित ग्रेड वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए ग्रेड वेतन या विलयन किया गया वेतनमान जो सामान्य हो । वेतनमान या जहाँ पर पद के लिए ग्रेड वेतन जो बगैर उन्नति/अपग्रेड का हो ।
12		स्थायीकरण के लिए वर्ग 'क' डी.पी.सी. जिसमें :
	तो इसकी गठन क्या है ?	1. मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन अध्यक्ष
		2. सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार – सदस्य
		प्रशासन
		<ol> <li>संयुक्त सचिव–सह–महाप्रबंधक (जिला उद्योग – सदस्य केन्द्र)</li> </ol>
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सभी अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ।

# अनुसूची

1	पदनाम	प्रकार्यात्मक प्रबंधक (आर्थिक अन्वेषण)
2	पदों की संख्या	01 (एक) 2014 कार्यभार के अनुसार बदलने की गुंजाइश
3	वर्गीकरण	
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बेंड 3 रु. 15600 39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400
5	चयन पद या गैरचयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट)।
		<u>नोटः</u> आयु सीमा निर्धारण करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो संपूर्ण भारत के लिए लागू है न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु—कश्मीर की लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पिटी जिला व चंबा जिले की पांगी उप—मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप ।

7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व	आवश्यकः
	अन्य योग्यताएँ	<ol> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सांख्यिकी / वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / व्यापार अध्ययन विषय में स्नातक ।</li> </ol>
		2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संख्थान, वित्तीय संस्थान/सरकारी उपक्रम/कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने व सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण व संकलन की सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ।
	•	या
		<ol> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी/ वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / व्यापार अध्ययन में रनातकोत्तर ।</li> </ol>
		किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संख्यान, वित्तीय संस्थान/सरकारी उपक्रम/कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने व सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण व संकलन की सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीयः
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार प्रशासन में रनातकोत्तर (एम.बी.ए.) ।
		<u>नोट—1</u> ः योग्यताओं में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा अन्यतः योग्य उम्मीदवार।
		<u>नोट-2</u> : अनुभव के संबंध में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध होगा । चयन की प्रक्रिया के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय में इन समुदायों की उम्मीदवारों के पास यदि आवश्यक अनुभव न हो, तो उनके लिए आरक्षित पद में नियुक्ति के लिए विचार कर सकता है।
8	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा व	आयु ः नहीं
	शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति के लिए भी लागू होगा ?	शैक्षणिक योग्यता : नहीं
, 9	परीवीक्षा अवधि, यदि हो तो	सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए 1 (एक) वर्ष
10 <sup>.</sup>	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा व रिक्त पदों की भर्ती की प्रतिशत का विवरण	सामसिक पद्धति प्रतिनियुक्ति द्वारा (आई.एस.टी.सी.) व पदोन्नति अन्यतः सीधी भर्ती द्वारा

¢\_۱

•

11	यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण	<u> पदोन्नतिः</u>
	से होने पर किस ग्रेड से पदोन्नति / स्थानांतरण से किया जाएगा	उद्योग प्रगति अधिकारी तथा उद्योग प्रगति अधिकारी (हस्तशिल्प) वेतन बैंड –2, रु. 9300–34800 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4200 में 8 वर्ष की नियमित सेवा व जिसने निम्न दर्शाई किसी दो कार्यक्रम में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान रूगे प्रशिक्षण प्राप्त किया हो :
		1. कुठीर उद्यमियों को प्रोत्साहन
		2. आधुनिक कार्यालय प्रबंधन व सूचना के अधिकार
		<ol> <li>इटेलेक्चुवल प्रोपर्टी राईट (आई.पी.आर.) व लघु, कुठीर ईकाई का प्रभाव</li> </ol>
		4. लघु, कुठीर व मध्यम ईकाई वित्त – दृष्टिकोण व कार्यनीति
		5. लघु, कुठीर व मध्यम ईकाई की कानूनी पक्ष, विवाचन व विवाद बंदोबस्त नीति
·		<u>नोट—1</u> : जहाँ कनिष्ठ ने अर्हक योग्य सेवाकाल पूर्ण की हो जिसे पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है ऐसे में उनके वरिष्ठ यदि अर्हक योग्य सेवाकाल की आधे से अधिक या दो वर्ष की कमी होने पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । इनमें से जो भी कम होगा जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो, को अगले उच्च ग्रेड के लिए कनिष्ठ के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने अर्हक योग्य सेवाकाल पूर्ण की हो ।
		<u>नोट–2</u> : पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक सेवाकाल की गणना करने के लिए 01.01.2006 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा जिस तिथि से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित संरचित वेतन प्रदान की हो, को भी प्रदत्त सेवा में गिना जाएगा जो संबंधित वेतन बैंड में हो ।
		<u>सामसिक पद्धति प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) व</u> <u>पदोन्नतिः</u>
		प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) :
. <sup>.</sup>		केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ शासित/विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/ अर्धसरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संस्थान की अधिकारी ।
		क) 1. पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित रूप में अनुरूप पदधारक हो।
		या
	l l	2. वेतन बैंड पी.बी.—2 रु. 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4800 में नियुक्ति के उपरांत दो वर्ष का सेवा या पैतृक संवर्ग विभाग की समतुल्य ।
		या
		3. वेतन बैंड पी.बी.—2 रु. 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4600 में नियुक्ति के उपरांत तीन वर्ष का सेवा या पैतृक संवर्ग विभाग की समतुल्य ।

THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015 13

या 4. वेतन बैंड पी.बी.--2 रु. 9300---34800 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4200 में नियुक्ति के उपरांत आठ वर्ष का सेवा या पैतक संवर्ग विभाग की समतुल्य । तथा ख) सीधी भर्ती के लिए क्रम सं. 7 में दर्शाया गया शैक्षणिक योग्यता व अनुभव धारक हो। विभाग के अधिकारी जो पदोन्नति की श्रेणी में वे प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा । साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी पदोन्नति में नियुक्ति के लिए योग्य नही होगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्र सरकार के किसी अन्य संवर्ग बाहय पद उसी संगठन या अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जिसका निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगा)। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए नोट | 01.01.2006 से पूर्व सेवारत अधिकारी जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसार संबंधित ग्रेड वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए ग्रेड वेतन या विलयन किया गया वेतनमान जो सामान्य हो । वेतनमान या जहाँ पर पद के लिए ग्रेड वेतन जो बगैर उन्नति/अपग्रेड का हो । वर्ग 'क' की विमागीय पदोन्नति समिति : यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, 12 तो इसकी गठन क्या है ? 1. सदस्य संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन 🗸 – सदस्य 2. 3. सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य संयुक्त सचिव--सह--महाप्रबंधक (जिला उद्योग – सदस्य केन्द्र) सीधी भर्ती की स्थायीकरण के लिए विमागीय स्थायीकरण समिति वर्ग 'क' जिसमें : 1. मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य संयुक्त सचिव--सह–महाप्रबंधक (जिला उद्योग – सदस्य केन्द्र) परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग सभी अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श । 13 से परामर्श किया जाना है

-		अनुसूची
1	पूदनाम	प्रकार्यात्मक प्रबंधक (ऋण)
2	पदों की संख्या	01 (एक) 2014 कार्यभार के अनुसार बदलने की गुंजाइश
.3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग ''क'' राजपत्रित, गैर-लिपिक वर्गीय
4	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 रु. 15600 39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400
5	चयन पद या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
		(भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट)
		<u>नोटः</u> आयु सीमा निर्धारण करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो संपूर्ण भारत के लिए लागू है न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु–कश्मीर की लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पिटी जिला व चंबा जिले की पांगी उप–मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप ।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व	आवश्यक :
	अन्य योग्यताएँ	<ol> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सांख्यिकी / वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / व्यापार अध्ययन विषय में स्नातक ।</li> </ol>
		2. किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान/ सरकारी उपक्रम / कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्खेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने व सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण व संकलन की सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ।
ł		या
		<ol> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सांख्यिकी / वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / व्यापार अध्ययन में स्नातकोत्तर ।</li> </ol>
		किसी सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय संस्थान / सरकारी उपक्रम / कॉरपोरेट संगठन या किसी निजी संगठन जो स्टॉक एक्स्वेंज में पंजीकृत है जो कुठीर व लघु उद्यमियों को विकास व प्रोत्साहन देने हेतु सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने व सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण व संकलन की सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय :
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) ।

अनुसूची

THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015 15

	,	
<b>•</b> ,		नोट-1 : योग्यताओं में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा अन्यतः योग्य जम्मीदवार ।
		<u>नोट-2</u> : अनुभव के संबंध में रियायत संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से होगा जिसका कारण लिखित रूप में उम्मीदवार को देना होगा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध होगा । चयन की प्रक्रिया के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय में इन समुदायों की उम्मीदवारों के पास यदि आवश्यक अनुभव न हो, तो उनके लिए आरक्षित पद में नियुक्ति के लिए विचार कर सकता है ।
8	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति के लिए भी लागू होगा ?	
9	परीवीक्षा अवधि, यदि हो तो	2 (दो) वर्ष
10	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा व रिक्त पदों की भर्ती की प्रतिशत का विवरण	
11	यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण से होने पर किस ग्रेड से पदोन्नति / स्थानांतरण से किया जाएगा	लागू नहीं
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है,	स्थायीकरण के लिए वर्ग 'क' डी.पी.सी. जिसमें
	तो इसकी गठन क्या है ?	1. मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष
		2. सचिव (उद्योग), अंडमान तथा निकोबार – सदस्य
		प्रशासन
		3. संयुक्त सचिव-सह—महाप्रबंधक (जिला उद्योग — सदस्य केन्द्र)
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सीधी भर्ती के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ।

## ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION DISTRICT INDUSTRIES CENTRE PORT BLAIR

#### **NOTIFICATION**

#### Port Blair, dated the 24<sup>th</sup> February, 2015

No.26/2015/F.No.3-82/DIC/2009-10 (Vol-II).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U/14939/2/83-ANL dated 21.02.1985, the Hon'ble Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Rules regulating the method of Recruitment to the post of **"Group 'A' Officer (Gazetted)** in the establishment of District Industries Centre, Port Blair.

#### 1. Short Title and Commencement:-

- (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (District Industries Centre) Group 'A'(Gazetted) Post Recruitment Rules, 2015.
- (ii) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay:-

The name, number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in SI. Nos.1 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

#### 3. Method of Recruitment, Age limit, Qualification etc.:-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the posts shall be as specified at SI. Nos. 5-13 of the attached Schedule.

#### 1. Disgualifications:-

#### No person -

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having as spouse living or,
- (b) Who, having a spouse living, have entered into or contracted a Marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Lt. Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the party to the marriage and that there are other grounds for as doing so, exempt any person from the operation of these rules.

#### 5. Power to Relax:-

. T

Where the Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with the respect of any class or category of persons.

#### 6. Saving:-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation regarding age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, OBC and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

#### Lt.Genl.Ajay Kumar Singh, PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.), Lt.Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd./-

(Ashok Kumar Sharma) Joint Secretary and General Manager

5\_1

# **SCHEDULE**

	1.	Name of Post	General Manager
	2.	No. of Post	1 (One) (2014)
			Subject to variation dependent on workload
	3.	Classification	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial
	4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-3 Rs.15600-39,100 Grade Pay Rs. 6600
	5.	Whether Selection Posts or Non- Selection Posts ?	Selection
	6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 40 yrs. (Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) <b>Note:</b> The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or
Ļ			Lakshadweep).
	7.	Educational and other qualifications required for Direct recruits	ESSENTIAL :
			(i) BE/B.Tech. in Information Technology / Electronics & Communication Engineering / Computer Science/ Chemical Engineering / Electrical Engineering / Mechanical Engineering from a recognized University / Institute OR
	ſ		Bachelors Degree in Computer Applications from a recognized University/Institute
			OR Bachelor Degree in Economics/ Commerce/ Statistics/ Mathematics/Business Studies from a recognized University/ Institute.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ii) Eight years experience in any Government Department PSUS/Government Financial Institutions/ Autonomous Bodies OR Statutory Organizations or in any Corporate Body or in any Private organization listed on the Stock Exchanges of India in Promotion Development of Small Scale Enterprises. OR
			<ul> <li>(i) ME/MTech. Information Technology/ Electronics &amp; Communication Engineering/ Computer Science/ Chemical Engineering/ Electrical Engineering / Mechanical Engineering from a recognized University/Institute</li> </ul>
			OR Masters Degree in Computer Applications from a recognized University/Institute OR
			Masters Degree in Economics/Commerce/Statistics/ Mathematics/Business Studies from a recognized University/Institute
			(ii) Five years experience in any Government Department/PSUS / Government Financial Institutions

,

	8	Autonomous Bodies OR Statutory Organizations or in any Corporate Body or in any Private Organization listed on the Stock Exchanges of India in Promotion Development of Small Scale Enterprises. <u>DESIRABLE</u> :- Master Degree in Business Administration from a recognized University/ Institute <u>Note-I:</u> Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified <u>Note- II:</u> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; If, at any stage of selection, the U.P.S.C is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
	recruits will apply in the case of promotees ?	E.Q Yes
9.	Period of probation, if any	1 year (for direct recruitment)
	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	
1	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	

eligibility service or two years. Whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.

<u>Note-3</u> :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006. The date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission.

#### **Deputation (ISTC) :**

Officers of the Central State Governments UTs/ Universities/ recognized Research Institutions PSUS/ Semi Government OR Statutory OR Autonomous Organization.

**A.** (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent Department.

#### OR

II. With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay in PB-3 of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400 OR equivalent in the parent cadre department.

#### AND

**B.** Possessing the educational qualification and experience prescribed by direct recruit under SI. No.(7).

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/ absorption. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

**Note** : for the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.06./ the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extended only for the posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

12.	If a DPC exists, what is its composition ?	Group 'A' DPC (for considering Promotion and Confirmation) :
	¢	(i) Chief Secretary- Chairman(ii) Secretary (Industries)- Member(iii) Secretary (Personnel)- Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (ISTC).

#### RECRUITMENT RULES FOR GROUP A POSTS, DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, PORT BLAIR, ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

# SCHEDULE

1.	Name of Post	PROJECT MANAGER (Technical)
2.	No. of Post	1 (One) (2014) Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-3 Rs.15600-39,100 (Grade Pay Rs. 5400)
5.	Whether Selection or Non-Selection Posts?	N.A.
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 yrs. (Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <u>Note</u> : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<ul> <li>ESSENTIAL: <ul> <li>(i) BE/B.Tech. in Information Technology or in Electronics &amp; Communication Engineering or in Computer Science Engineering from a recognized University/ Institute.</li> <li>OR</li> <li>Bachelor of Computer Applications from a recognized University or Institute.</li> </ul> </li> <li>(ii) Three years experience in any Government Department autonomous statutory bodies/ Financial Institutions/PSUS/Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanged of India in promotion and development of Micro &amp; Small Enterprises in the sector of Information Technology by way of providing Technical Guidance Training Credit Advisory and other support services to the Entrepreneurs.</li> </ul>

\$5

		OR
		<ul> <li>(i) ME/M.Tech. in Information Technology or in Electronics &amp; Communication Engineering or in Computer Science Engineering from a recognized University/ Institute.</li> </ul>
		(ii) One year experience in any Government/ Department/ autonomous/ statutory bodies/ Financial Institutions/ PSUS/Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanged of India in promotion and development of Micro & Small Enterprises in the sector of Information Technology by way of providing Technical Guidance Training Credit Advisory and other support services to the Entrepreneurs.
		DESIRABLE:-
		Masters Degree in Business Administration in Project Management OR in Marketing Management or in Finance from a recognized University/Institute.
		<b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.
		<b>Note- II:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; If, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes ?	N. A.
9.	Period of probation, if any	2 years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	By direct recruitment failing which by deputation (ISTC).
11.	In case of recruitment by promotion/	Deputation (ISTC):
ĺ	deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Officers of the Central / State Governments / UTs / Universities / recognized <b>Research</b> Institutions/ PSUS/ Semi-Government or Statutory or Autonomous Organization.
		(A) (i) Holding analogous Posts on a regular basis on the parent cadre/department
		OR
		(ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB- 2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 OR equivalent in the parent cadre/department

£

#### OR

(iii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB- 2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600 OR equivalent in the parent cadre/ department

#### OR

(iv) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB- 2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200 OR equivalent in the parent cadre/ department

#### AND

(B) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under SI.No.-7

(Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note** : For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay. Pay Scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

12.	If a DPC exists, what is its composition?	Group 'A' Departmental Confirmation Committee
		(For Confirmation of direct recruits) :
		(i) Chief Secretary - Chairman
ĺ	·	A&N Administration
Į	• <b>j</b>	(ii) Secretary (Industries) - Member
		A&N Administration
		(iii) JS-cum-Member (DIC) - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC necessary in each occasion.

, r 	8, 1	<b>Note-2</b> : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the descretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	E.Q No
9.	Period of probation, if any	1 year for direct recruits & promotees
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	By composit method deputation (ISTC) plus promotion failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/	Composite Method(Deputation(ISTC) Plus Promotion)
	deputation / absorption, grades from which promotion / deputation /	Deputation(ISTC) :
	absorption to be made	Officers of the Central State Governments UTs/ Universities / recognized Research Institutions PSUS/Semi Government OR Statutory OR Autonomous Organization.
		A. I. Holding analogous post on regular basis in the parent department
		OR
		II. With 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 OR equivalent in the parent cadre/department
		OR
		III. With 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600 OR equivalent in the parent cadre/department
		OR
		<b>IV.</b> With 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200 equivalent in the parent cadre/department.
		<b>B.</b> Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under SI. No.7
	1 	Note: Industries Promotion Officer (Chemical) in the District Industries Centre in PB-2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200, with 8 years of regular service in the grade will also be considered alongwith outside candidates and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have filled by promotion.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

#### Name of Post **Functional Manager (Village Industries)** No. of Post 1 (One) (2014) Subject to variation dependent on workload. Classification General Central Services Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial Pay Band and Grade Pay/Pay Scale PB-3 Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5400 4. Whether Selection or Non-Selection NA Posts ? Age limit for direct recruits Not exceeding 35 yrs. (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note: The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Educational and other qualifications ESSENTIAL: required for direct recruits (i) BE/B.Tech. in Chemical / Electrical / Mechanical Engineering from a recognized University/Institute. (ii)Three years experience in any Government Department/PSUS/Autonomous Bodies or Statutory Organisation/ Govt. Financial Institutions/ or in any Corporate Body or in any Private Organization listed on the Stock Exchanges of India in promotion and development of Micro & Small Enterprises at rural and village level by providing Technical Guidance/Skill Development and support services to entrepreneurs. **OR** (i) ME/M.Tech. in Chemical / Electrical / Mechanical

#### SCHEDULE

Engineering from a recognized University/Institute.

any Government year experience in (ii) One Department/PSUS / Autonomous Bodies or Statutory Organisation/ Govt. Financial Institutions or in any Corporate Body or in any Private Organization listed on the Stock Exchanges of India in promotion and development of Micro & Small Enterprises at rural and village level by providing Technical Guidance/Skill Development and support services to entrepreneurs. **DESIRABLE**:

Master of Business Administration from recognized University or Institute

Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, FEBRUARY 24, 2015 25

		considerations for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). <u>Note</u> : For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an
		officer prior to 1.1.06 / the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extended only for the posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For Confirmation of Direct Recruits) : (i) Chief Secretary - Chairman
		(ii) Secretary (Industries) - Member
		(iii) JS-cum-GM (DIC) - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.
10.	be consulted in making recruitment	Consultation with or octa necessary on each octasion.

1.	Name of Post	Functional Manager (Economic Investigation)		
2.	No. of Post	1 (One) (2014) Subject to variation dependent on workload		
3.	Classification	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-		
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-3 Rs.15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5400		
5.	Whether Selection or Non-Selection Posts?	Selection		
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 yrs (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)		

		<b>Note</b> : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not closing the prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District: of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
· 7.	Educational and other qualifications	<u>ESS</u>	ESSENTIAL :	
	required for direct recruits	(i)	Bachelor Degree in Statistics / Commerce / Economics / Mathematics / Business Studies from a recognized University / Institute.	
· .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ii)	Three years experience in any Government Department Autonomous Statutory Bodies/ Financial Institutions/PSU Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanges of India in the field of promotion of Micro Small & Medium Enterprises by way of conducting surveys preparing survey reports and collection and compilation of statistical data.	
			OR	
		(1)	Master's Degree in Statistics / Commerce / Economics/Mathematics/ Business Studies from a recognized University/ Institute.	
			One year experience in any Government Department Autonomous Statutory Bodies/ Financial Institutions/PSU Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanges of India in the field of promotion of Micro Small & Medium Enterprises by way of conducting surveys preparing survey reports and collection and compilation of statistical data.	
		DES	IRABLE :	
-		reco	Master's Degree in Business Administration from a gnized University/Institute.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>Note</u>	-I: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reason to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	
	1	- /	e-II: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
8.	Whether age and educational	Age-	No	
	qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	E.Q.	-No	
9.	Period of probation, if any	1 yea	ar for direct recruits & promotees	

	10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or	By Promotion failing which by Deputation(ISTC) failing both by Direct Recruitment		
		by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	· · ·		
ĺ	11.	In case of recruitment by promotion/	PROMOTION :		
	·	deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Industries Promotion Officer and Industries Promotion Officer (Handicrafts) in PB-2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with 8 years regular service in the Grade and have under gone any two of the following training programmes organized by any recognized Institute.		
			(i) Promotion of Micro Enterprises		
			(ii) Modern Office Management and RTI		
			(iii) Intellectual Property Right (IPR) and implication of SME		
			(iv) MSME Financing – Approach & Strategy		
			(v) Legal aspect, Arbitration and Dispute settlement Mechanism of MSME		
	•		Note-1 :- Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years. Whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. Note- 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006./the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation(ISTC):		
		· · ·	Officers of the Central / State Governments/ UTs/ Universities / recognized Research Institutions / PSUS/ Semi Government OR Statutory OR Autonomous Organization.		
			A (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre Department.		
			OR		
			(ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 OR equivalent in the parent cadre department.		
L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

OR

(iii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600 OR equivalent in the parent cadre department.

OR

iv) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay in PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 equivalent in the parent cadre department

B. Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under SI. No. 7.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for considerations for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

<u>Note:</u> For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.06./the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extended only for the posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

12.	If a DPC exists, what is its composition ?	Group 'A' Departmental Promotion Committee :	
		(i) Member UPSC	- Chairman
		(ii) Chief Secretary	- Member
		(iii) Secretary (Industries)	- Member
		(iv) JS-cum-General Manager (DIC)	- Member
		Group 'A' Departmental Confirmation committee (For Confirmation of Direct Recruits):-	
		(i) Chief Secretary	- Chairman
ļ		(ii) Secretary (Industries)	- Member
		(iii) JS-cum-General Manager (DIC)	- Member
13.	Circumstances in which UPSC is to b consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.	

· <b>1</b> .	Name of Post	Functional Manager (Credit)			
2.	No. of Post	1 (One) (2014)			
		Subject to variation dependent on workload.			
3.	Classification	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial			
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-3 Rs.15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5400			
5.	Whether Selection Posts or Non- Selection Posts ?	N.A.			
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 yrs.			
		(Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)			
		Note: The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).			
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	ESSENTIAL:			
		<ul> <li>(i) Bachelor's Degree in Economics / Commerce/ Business Studies from a recognized University/Institute.</li> </ul>			
		(ii) Three years experience in any Government Department / PSUS/Government Financial Institutions / Autonomous Bodies or Statutory Organizations or in any Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanged of India in promotion of Micro & Small Enterprises by way of Credit Financial Advisory preparation of project reports / project feasibility reports/project appraisal. Formulation of State District credit plan and formulation of revival and rehabilitation plan for sick industrial units.			
		OR			
		<ul> <li>Bachelor's Degree in Economics / Commerce / Business Studies from a recognized University / Institute.</li> </ul>			
		(ii) One year experience in any Government Department PSUS/Government Financial Institutions/Autonomous Bodies or Statutory Organizations or in any Corporate Bodies or in any Private Organization listed on the Stock Exchanged of India in promotion of Micro & Small Enterprises by way of Credit Financial Advisory Preparation of project reports project feasibility reports/project appraisal. Formulation of State District credit plan and formulation of revival and rehabilitation plan for sick industrial units.			

<u>م</u>

		DESIRABLE :	
		Master of Business Administration from a recognized University OR Institute	
	Note-I: Qualifications are relaxable of the U.P.S.C. for reasons to be re in case of candidates otherwise well		
		<b>Note-II</b> : The qualification(s) required experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reason to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Age-N A	
9.	Period of probation, if any	2 years	
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For Confirmation of Direct Recruits)	
		(i) Chief Secretary - Chairman	
		(ii) Secretary (Industries) - Member	
		(iii) JS-cum-General Manager (DIC) - Member	
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment	

•

अण्डमान तथा Andaman And



# निकोबार राजपत्र Nicobar Gazette

# असाधारण

# EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

**Published by Authority** 

सं. 90, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 26 मई, 2015 No. 90, Port Blair, Tuesday, May 26, 2015

# अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION जिला उद्योग केन्द्र DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

## CORRIGENDUM

Port Blair, dated the 26th May, 2015.

No. 90/2015/F. No. 3-82/DIC/2014/Vol. II.— The Recruitment Rules of Group 'A' Posts of District Industries Centre were published vide Gazette Notification No. 28, dated 24.02.2015. It has been observed that there are two typographical errors occurred in this publication which require to rectify as follows :-

81. No.	Post	Page/Item	Published	Rectified
1.	Project Manage (Technical)	(Page No. 22 under RR Column No. 12 Item No. (iii))		JS-cum-GM, DIC
2.	Functional Manage (Credit)	r (Page No. 29 under RR Column No. 7, Sub-Head "Essential" OR Sl. No. (i) )		Master's Degree

Sd./-(JS-cum-General Manager) अण्डमान तथा Andaman And



# निकोबार राजपत्र Nicobar Gazette

# असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 270, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 29 सितम्बर, 2015 No. 270, Port Blair, Tuesday, September 29, 2015

# अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION जिला उद्योग केन्द्र DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

## CORRIGENDUM

Port Blair, dated the 29th September, 2015.

F. No. 3-82/DIC/2014/Vol. II.— The Recruitment Rules of Group 'A' Posts of District Industries Centre were published vide Gazette Notification No. 28 (No. 26/2015/ F. No. 3-82/DIC/2009-10 (Vol. II), dated 24.02.2015, the following Corrigendum is hereby published.

81. No,	Post	Page/Item	Published	Rectified
1.	Functional Manager (Village Industries) & Functional Manager (Economic Investigator)	(Page No. 24 & 28 under RR Column No. 11 Item No. (iv))		Equivalent in the parent cadre/ department AND Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under Sl. No. 7
2.	Functional Manager (Economic Investigator)	(Page No. 27 under RR Column No. 11).	"and implication of SME"	For MSME
3.	Functional Manager (Economic Investigator)	(Page No. 28 under RR Column No. 12, item No. (i))	"Member UPSC"	"Chairman/Member UPSC"

Sd./-(JS-cum-General Manager)